

**न्यायालय :-श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला – बड़वानी (म.प्र.)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 85 / 2015
संस्थित दिनांक-24.02.2015

म.प्र. राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र अंजड जिला बड़वानी म.प्र. अभियोगी

वि रु द्ध

1. भारत पिता भील्या, उम्र 54 वर्ष,
निवासी ग्राम चकैरी, थाना अंजड, जिला— बड़वानी म.प्र.

.....अभियुक्त

राज्य द्वारा – श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ. ।

अभियुक्त द्वारा – श्री बी.के.सत्संगी अधिवक्ता ।

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 06 / 10 / 2017 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड के अपराध क्रमांक 30 / 15 के आधार पर आरोपी भारत के विरुद्ध दिनांक 12.02.2015 को रात्रि में 08:00 बजे ग्राम चकैरी में फरियादी सखाराम को धारदार वस्तु चाकु मार कर स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित करने 324, का आरोप है।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य हैं कि अभियोजन साक्षीगण आरोपी को जानते हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था, तथा फरियादी सखाराम आरोपी भारत से दिनांक 04.10.2017 को राजीनाम किया गया। जिसके आधार पर आरोपी भारत को भा.द.सं. की धारा 294, एवं 506 भाग-2 के अपराध से दोषमुक्त किया गाय हैं।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.02.2015 को फरियादी सखाराम ने थाना अंजड में आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी, वह अपने घर पर था तभी आरोपी ने उसे माँ-बहन की अश्लील गालियां दी और कहा कि फरियादी उसके मकान की तरफ मुँह कर पेशाब क्यों करता है उसने आरोपी को गाली देने से मना किया तो आरोपी ने अपने हाथ में रखे चाकु से उसे नाक पर मारा जिससे चोट लगकर खून निकला उसके चिल्लाने पर पड़ोसी बालू और उमेश आ गये, जिन्होंने बीच बचाव किया। आरोपी से उसे जान से खतम करने की धमकी भी दी। सखाराम की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड में उक्त अपराध क्र 30 / 15 दर्ज किया। फरियादी को मेडिकल परीक्षण के लिये भेजा। घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया। फरियादी और साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर उसे चाकु जप्त कर विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. उक्त अनुसार आरोपी पर भा.द.सं. की धारा 324 का आरोप लगाने पर आरोपी ने अपराध से इंकार कर विचारण चाहा है, उनका अभिवाक् लिखा गया । द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में आरोपीगण का कथन हैं कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया किन्तु बचाव में कोई साक्ष्य नहीं देना प्रकट किया।

विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं—

05. क्या आरोपी ने दिनांक 12.02.2015 रात्रि में 08:00 बजे स्थान ग्राम चकेरी सखाराम को धारदार वस्तु चाकु से मारपीट कर उसे स्वैच्छा उपहति कारित की ?

—:सकारण निष्कर्ष:—

06. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सखाराम अ.सा.1 का कथन है कि लगभग 8 माह पूर्व शाम के समय वह अपने घर पर पेशाब कर रहा था तभी आरोपी आया और चाकु से उस पर वार कर दिया जिससे उसे नाक पर चोट आयी तथा खून भी निकला उसने घटना की रिपोर्ट थाना अंजड कर की थी जो **प्रदर्श पी-1** है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका ईलाज कराया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि आरोपी की उससे घटना के पहले से ही बोलचाल बंद है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना स्थल पर लोग आना जाना करते हैं लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह शराब पीता है या उसने आरोपी का रास्ता रोका था। इस साक्षी का बचाव पक्ष की ओर से यह सुझाव नहीं दिया है कि आरोपी ने उसके साथ चाकु से मारपीट नहीं की थी अथवा उसने असत्य रिपोर्ट लिखाई है।

07. जगदीश कलमे अ.सा.05 ने दिनांक 12.02.2015 थाना अंजड में फरियादी सखाराम द्वारा आरोपी के विरुद्ध चाकु से मार देने के संबंध में **प्रदर्श पी-1** की रिपोर्ट दर्ज कराने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने उसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादी को रिपोर्ट पढ़कर नहीं सुनाई थी।

08. बालूराम अ.सा.2 तथा उमेश अ.सा.03 ने लगभग 7-8 माह पूर्व आरोपी द्वारा फरियादी की नाक पर चाकु मारने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उन्होंने घटना में बीच बचाव किया। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने स्वीकार किया कि आरोपी शराब पीता है और फरियादी भी शराब पीता है। उक्त दोनों ही साक्षियों ने अपनी बातचीत बंद होना बताया है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी ने फरियादी को उसके सामने चाकु से नहीं मारा।

09. डॉ. अर्पिता गुप्ता अ.सा.04 ने दिनांक 12.02.2015 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड में थाना अंजड के आरक्षक रजनिश कुमार द्वारा लाने पर आहत सखाराम पिता हिरा निवासी चकेरी का मेडिकल परीक्षण करने पर उसकी नाक की दाहिनी ओर एक कटा हुआ भाग धारदार वस्तु से 24 घंटे के भीतर आना पाया है तथा अपनी परीक्षण रिपोर्ट **प्रदर्श पी-3** प्रमाणित की है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त चोट गिरने से आना संभव है लेकिन बचाव पक्ष की ओर से आहत सखाराम को यह सुझाव नहीं दिया गया कि उसे गिरने से नाक पर चोट आई थी। ऐसी स्थिति में डॉ. के उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव पक्ष को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

10. रुखडूसिंह अ.सा. 06 का कथन है कि दिनांक 12.02.2015 को थाना अंजड में अपराध क्रमांक 30/15 की विवेचना के दौरान फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे उसने बालूराम की निशादेही से नक्शा मौका **प्र. पी.-2**

का बनाया था। उसने आरोपी के पेश करने पर एक सब्जी काटने की छुरी धारदार लम्बाई साढ़े 3 इंच फल **प्रदर्श पी-4** के अनुसार जप्त किया था जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने घटना स्थल के लोगों के कथन नहीं लिये थे लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने फरियादी और साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे अथवा साक्षियों के हस्ताक्षर पूरे पंचनामों पर कराये थे।

11. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क किया कि फरियादी और आरोपी के मध्य राजीनामा हो चुका है। घटना स्थल के आप पास के लोगों के कथन नहीं लिये गये हैं ऐसी स्थिति में अभियोजन कथन शंकास्पद हो जाती है।

12. यह यह कहना सही है कि प्रकरण के फरियादी ने राजीनामा किया है लेकिन आरोपी ने जिस तरह से छोटी सी बात को लेकर फरियादी के साथ धारदार वस्तु चाकु से मारपीट की उसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ। फरियादी ने इस घटना की रिपोर्ट तत्काल थाने पर दर्ज करायी जहां से उसे मेडिकल परीक्षण के लिये भेजा गया तथा डा. अर्पिता गुप्ता अ.सा. 4 ने उक्त फरियादी का परीक्षण करने पर उसे धारदार वस्तु से नाक पर चोट आना बताया है तथा उक्त चाकु आरोपी के आधिपत्य से विवेचना अधिकारी श्री रूखडूसिंह अ.सा.06 ने जप्त भी किया है जिसके कथनों का भी कोई खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ। आरोपी द्वारा फरियादी के साथ धारदार वस्तु चाकु से मारपीट करने के संबंध में बालूराम अ.सा.02 और सखाराम के कथन भी पूर्णतः विश्वसनीय हैं जिसका कोई भी खण्डन नहीं हुआ। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के कथन से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी ने घटना दिनांक स्थान और समय पर सखाराम अ.सा.01 धारदार वस्तु चाकु से नाक पर मारकर स्वेच्छापूर्वक उपहति कारित की थी जो भा.द.सं. की धारा 324 का आपराध है जो अभियोजन प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः यह न्यायालय आरोपी भारत पिता भील्या निवासी चक्रेरी भा.द.सं 324 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

13. प्रकरण की परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति को देखते हुये आरोपी को परिविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा करने के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय लेखन स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

पुनश्च:- सजा के प्रश्न पर आरोपी और उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया उनका निवेदन है कि आरोपी गरीब, ग्रामीण और अशिक्षित व्यक्ति हैं तथा विचारण नियमित रूप से सामना कर अतः सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये।

14. प्रकरण में फरियादी ने आरोपी से राजीनामा भी किया है तथा यह सही है कि आरोपी मध्यम आयु का गरीब अशिक्षित व्यक्ति हैं तथा विचारण का सामना शीघ्रता से किया है अतः आरोपी भारत को भादस की धारा 324 में दोषी ठहराते हुये न्यायालय उठने तक के कारावास में एवं रुपये एक हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी एक माह का सादा कारावास भुगतेंगा। अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर उसमें से रुपये 800/- अपील वाली बात आहत सखाराम को प्रतिकर स्वरूप प्रदान किये जाये।

15. आरोपी भारत के जमानत और मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जप्त चाकु मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट हो। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। आरोपी को निर्णय की प्रति निःशुल्क दी जाये।

16. अभियुक्त के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 का प्रमाण पत्र बनाया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

(श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.